

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

## लखनऊ

## दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 1612/2026

देवा उर्फ देवेन्द्र पासी

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – धर्मेन्द्र कुमार त्रिवेदी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

## माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य हेतु विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश गिरफ्तार और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा के अंतर्गत, थाना- खेरोन, जिला- रायबरेली में दर्ज अपराध संख्या 317 वर्ष 2025 के मामले में जमानत की प्रार्थना करते हुए दायर किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि गिरफ्तार तालिका में प्रार्थी के विरुद्ध दो मामले दर्शाए गए हैं। इन दोनों मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत के आदेश, जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र के संलग्नक संख्या 3 और 4 के रूप में पत्रावली में उपलब्ध हैं। गिरफ्तार तालिका में दर्शाए गए मामलों के अलावा, प्रार्थी का दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 17 में सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है और दोनों मामलों में प्रार्थी को संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। जमानत आदेशों की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र के संलग्नक संख्या 5 और 6 के रूप में संलग्न है। प्रार्थी दिनांक 27.01.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे यह भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्तों, नामतः विदेश लोध और अजय लोध को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 02.12.2025 और 09.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 12035 वर्ष 2025 और 12375 वर्ष 2025 में पारित आदेशों के माध्यम से क्रमशः जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षानुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में प्रस्तुत किये गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. इस तथ्य पर सम्यक विचार करते हुए कि प्रार्थी दिनांक 27.01.2026 से जेल में है; प्रार्थी को गिरोह तालिका में दिखाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गिरोह तालिका में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त, प्रार्थी का दो मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जिसमें उसे संबंधित न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है; सह-अभियुक्तों, नामतः विदेश लोध और अजय लोध को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 02.12.2025 और 09.12.2025 को क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 12035 वर्ष 2025 और 12375 वर्ष 2025 में पारित आदेशों द्वारा जमानत दी जा चुकी है, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

6. तदनुसार, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त प्रार्थी- देवा उर्फ देवेन्द्र पासी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में आरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा।

(iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या

वचन नहीं देगा ताकि वह उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iv) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुरूप आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(v) प्रार्थी उ.प्र. गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की अपेक्षा के अनुरूप एक वचन पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं

(vi) प्रार्थी नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही कर सकेगा।

(vii) यदि प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्धोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्धोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत प्रार्थनापत्र तक सीमित हैं और मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 मार्च, 2026

आनंद

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)